

|                   |
|-------------------|
| O/o CE (EITC)     |
| Receipt No. ....  |
| Date 04 MAY 2019  |
| DGM (IT) / SE (O) |
| EE... BOARD       |
| Section           |


## छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छ.रा.वि.म.की एक उत्तरवर्ती कंपनी)  
(CIN : U40108CT2003SGC015822)

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (राजस्व)

द्वितीय तल, पूर्व प्रशासनिक भवन, सी.एस.पी.डी.सी.एल., रायपुर-492013

फोन नं. 0771-2576750, 2576752 फैक्स 0771-2576754 website: [www.cspdcl.co.in](http://www.cspdcl.co.in)



क्र./02-15/राजस्व-I/96

रायपुर, दिनांक 3/5/2019


परिपत्र

विषय :- **Business Reform Action Plan-2019** के अंतर्गत उद्योगों को समय-सीमा में विद्युत संयोजन प्रदान करने बाबत।

**Department for promotion of Industry and Internal trade (DPIIT)** भारत शासन द्वारा **Business Reform Action Plan-2019** के अंतर्गत निर्देशिका के बिंदु क्रमांक 50 के परिपालन में उद्योगों को समय-सीमा में विद्युत संयोजन प्रदान कर भारत शासन की योजना EODB के अंतर्गत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि वितरण कम्पनी के पास उद्योग को संयोजन देने हेतु आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध होने, उद्योग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी को जमा की जाने वाली राशि का भुगतान होने, उद्योग की विद्युत अधोसंरचना का कार्य नियमानुसार पूर्ण होने एवं विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रचलित प्रावधानों का नियमानुसार पालन होने पर 200 के.वी.ए. स्वीकृत भार तक के विद्युत संयोजन वाले उद्योगों को जहाँ निकटतम विद्युत स्रोत 500 मीटर तक की दूरी हो निम्नानुसार समय-सीमा में विद्युत संयोजन देते हुए विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जाए :-

1. जहां राइट-ऑफ-वे की समस्या नहीं है, वहां मुख्य विद्युत सुरक्षा निरीक्षक की अनुमति (अगर आवश्यक हो) सहित 7 दिन के भीतर।
2. जहां राइट-ऑफ-वे की समस्या है, वहां ऐसी समस्या का निदान कलेक्टर के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित होने पर, निदान तिथि से मुख्य विद्युत सुरक्षा निरीक्षक की अनुमति (अगर आवश्यक हो) सहित 7 दिन के भीतर।

परिपत्र के प्रायोजन में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा सप्लाइ कोड में अनुमोदित तथा छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्या. के नियमों का परिपालन सुनिश्चित हो।

  
कार्यपालक निदेशक (राजस्व)  
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., रायपुर

क्र./02-15/राजस्व-I/  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक

1. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर के पत्र क्रं. एफ 20-12/2016/11/6 दिनांक 01.04.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
3. संचालक उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन रायपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यपालक निदेशक (RA&PM) को सूचनार्थ।
5. कार्यपालक निदेशक (E.I.T.C. Raipur), अधीक्षण यंत्री .....  
कार्यपालन यंत्री .....